भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2250

जिसका उत्तर शुक्रवार, 01 अगस्त, 2025 को दिया जाना है

लद्दाख में न्यायालय का बुनियादी ढांचा

2250. श्री मोहम्मद हनीफ़ाः

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार लद्दाख के दूरदराज उप-मंडलों में जिला न्यायालयों के बुनियादी ढांचे की कमी से अवगत है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र में कानूनी बुनियादी ढांचे को उन्नत करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है ;

(ग) क्या यह सच है कि स्वीकृत न्यायिक पदों में से 30 प्रतिशत से अधिक पद रिक्त हैं, जिसके कारण लद्दाख के दूरदराज क्षेत्रों में पूर्णकालिक न्यायिक अधिकारियों की भारी कमी है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इन रिक्तियों को समयबद्ध तरीके से भरने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ;

(ङ) क्या सरकार न्याय तक समय पर पहुँच सुनिश्चित करने के लिए लद्दाख के दूरदराज क्षेत्रों में मोबाइल अदालतें या नियमित लोक अदालतें स्थापित करने पर विचार कर रही है ; और

(च) क्या लद्दाख में एनएएलएसए ढांचे के अंतर्गत कानूनी सहायता सेवाओं, महिला हेल्पलाइन डेस्क और बाल कल्याण अदालतों को पर्याप्त रूप से संस्थागत बनाया गया है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) और (ख) : भारत सरकार, न्यायिक अवसंरचना के विकास के लिए राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के संसाधनों को बढ़ाने के लिए वर्ष 1993-94 से एक केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना (सीएसएस) लागू कर रही है । सीएसएस में न्यायालय हॉल, आवासीय इकाइयां, वकीलों के हॉल, शौचालय परिसर और डिजिटल कंप्यूटर कक्षों का निर्माण भी सम्मिलित है ।

लद्दाख प्रशासन द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र में 10 उपमंडल हैं । ज़ांस्कर, सांकू, खलत्सी, नुबरा और द्रास नामक 05 उपमंडलों में न्यायालय अवसंरचना उपलब्ध

है । पिछले पांच वर्षों के दौरान सीएसएस के अधीन लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र को 8.33 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है । इसके अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए, बिना विधायिका वाले संघ राज्यक्षेत्रों के लिए सीएसएस के अधीन 2.00 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है । लद्दाख में न्यायिक अधिकारियों की स्वीकृत एवं कार्यरत/पदस्थापित संख्या क्रमशः 17 एवं 10 है । वर्तमान में, लद्दाख में 11 न्यायालय हॉल और 4 आवासीय इकाइयाँ उपलब्ध हैं। हालाँकि, 4 न्यायालय हॉल और 02 आवासीय इकाइयाँ निर्माणाधीन हैं।

(ग) और (घ) : संवैधानिक आदेश के अनुसार, संबद्ध राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन, संविधान के अनुच्छेद 233 और अनुच्छेद 234 के साथ पठित अनुच्छेद 309 के परंतुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संबद्ध उच्च न्यायालयों के परामर्श से, न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति और भर्ती के संबंध में नियम और विनियम बनाते हैं । उच्चतम न्यायालय ने, मलिक मज़हर सुल्तान मामले में जनवरी, 2007 में पारित आदेश के अधीन, अन्य बातों के साथ-साथ, कुछ समय-सीमाएँ निर्धारित की हैं, जिनका अनुपालन जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीशों की भर्ती के लिए राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों और संबद्ध उच्च न्यायालयों द्वारा किया जाना है ।

(ङ) और (च) : संपूर्ण देश में लोक अदालत का आयोजन, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (लोक अदालत) विनियम, 2009 के साथ पठित विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के उपबंधों के अनुसार, उक्त अधिनियम और विनियमों में यथा विहित विषयों के लिए, उक्त अधिनियम की धारा 2(1)(ककक) के अधीन यथा परिभाषित न्यायालयों में किया जाता है । प्रत्येक वर्ष, नालसा राष्ट्रीय लोक अदालतों के आयोजन के लिए कैलेंडर जारी करता है । राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण स्थानीय परिस्थितियों और आवश्यकताओं के अनुसार राज्य लोक अदालतों का आयोजन करते हैं । एक कैलेंडर वर्ष में चार राष्ट्रीय लोक अदालतें आयोजित की जाती हैं । पिछले तीन वर्षों के दौरान लद्दाख में राष्ट्रीय लोक अदालत और राज्य लोक अदालत द्वारा निपटाए गए मामलों की संख्या का विवरण इस प्रकार है :

(i) <u>राष्ट्रीय लोक अदालत :</u>

वर्ष	मुकदमे-पूर्व मामले	लंबित मामले	कुल मामले
2022	416	1028	1444
2023	383	1398	1781
2024	523	1627	2150
कुल	1322	4053	5375

(ii) <u>राज्य लोक अदालत:</u>

वर्ष	मुकदमे-पूर्व मामले	लंबित मामले	कुल मामले
2022-23	7	233	240
2023-24	0	0	0
2024-25	0	0	0
कुल	7	233	240

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (विधिक सेवा क्लिनिक) विनियम, 2011, विधिक सेवा क्लिनिक में मुफ्त विधिक सेवाओं के लिए पात्रता मानदंड, क्लिनिकों के संचालन के लिए वकीलों का चयन, क्लिनिक में अर्ध-विधिक स्वयंसेवकों के कार्य इत्यादि का उपबंध करता है । सितंबर 2023 में, लेह जिले के एक सुदूर गांव तांगत्से में विधिक सहायता क्लिनिक की स्थापना की गई । यह क्लिनिक लद्दाख विधिक सेवा प्राधिकरण (एलएलएसए) ढांचे का हिस्सा है और स्थानीय स्तर पर विधिक सहायता प्रदान करने के लिए अर्ध-विधिक स्वयंसेवकों (पीएलवी) से लैस है । एलएलएसए ने लेह और कारगिल जिलों में कई विधिक सहायता क्लिनिक स्थापित किए हैं । लद्दाख प्रशासन ने बताया है कि उन्होंने समय पर न्याय दिलाने के लिए लेह और कारगिल दोनों जिलों में विशेष मोबाइल मजिस्ट्रेट न्यायालय स्थापित किए हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान एलएलएसए द्वारा संचालित विभिन्न गतिविधियों/कार्यक्रमों के अधीन विधिक सहायता और सलाह के माध्यम से लद्दाख में लाभान्वित व्यक्तियों का विवरण निम्नानुसार है :

वर्ष	महिला	बालक	अन्य	कुल
2022-23	180	12	519	711
2023-24	105	3	397	505
2024-25	192	9	123	324
कुल	477	24	1039	1540

****